(एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या-676/2011) अन्तर्गत (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-74/2011)

17.05.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिनी। श्री रजनीश गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस्।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना कर दी गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस के इस कथन को मध्यनजर रखते हुए यह अवमानना याचिका प्रभावशून्य हो जाने के कारण निरस्त की जाती है।प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस को जारी अवमानना के नोटिस से उन्हें उन्मोचित किया जाता है, किन्तु प्रार्थिनी को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि कोई अन्य वाद कारण उत्पन्न होता है तो उसे रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दे सकेगी।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.